

उत्तराखण्ड शासन
आवास विभाग-2
संख्या — /V-2/2021-09(घो0)/2019
देहरादून: दिनांक 05 जनवरी, 2021

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-474/02(150)/xxvii(1)/2019, दिनांक 01.08.2019 के प्राविधानुसार आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत रू0 1.00 करोड़ से अधिक तथा 05 करोड़ से कम लागत के कार्यो/योजनाओं के परीक्षण हेतु निम्नानुसार विभागीय समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|---------|
| 1. सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | अध्यक्ष |
| 2. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| 3. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन। | सदस्य |
| 4. अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून। | सदस्य |
| 5. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण। | सदस्य |
| 6. राज्य योजना आयोग द्वारा नामित तकनीकी अभियन्ता। | सदस्य |
| 7. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का प्रतिनिधि। | सदस्य |

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या- 34 (1)/V-2-2021/09(घो0)2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2-निजी सचिव, सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ
- 3-निजी सचिव, अपर सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 4-अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5-मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6-सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का प्रतिनिधि।
- 7-समिति के अन्य सदस्यगण।
- 8-गार्ड फाईल।

JCA

आज्ञा से,
अर्पण

(अर्पण कुमार राजू)
उप सचिव।

2546
06.1.21

Acct
10/1/2021